ऐन नं. २

गाउँ सभाबाट स्वीकृत मिति:-२०७८/०३/१०

# आर्थिक ऐन, २०७८

## विगु गाउँपालिका

### लादुक,दोलखा

# आर्थिक ऐन, २०७८

**प्रस्तावनाः** विगु गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने, छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

नेपालको संविधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोजिम विगु गाउँ सभाले यो ऐन बनाएको छ ।

१. **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः** (१) यस ऐनको नाम "आर्थिक ऐन, २०७८" रहेको छ ।
   (२) यो ऐन २०७८ साल श्रावण १ गतेदेखि गाउँपालिका क्षेत्रमा लागू हुनेछ ।
२. **सम्पति करः** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूची (१) बमोजिम एकिकृत सम्पत्ति कर/घरजग्गा कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
३. **भूमि कर (मालपोत)**:गाउँपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूची (२) बमोजिम भूमि कर (मालपोत) लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
४. **घर वहाल करः** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पूरै आंशिक तवरले वहालमा दिएकोमा अनुसूची (३) बमोजिम घर जग्गा वहाल कर लगाइने र असूल गरिनेछ ।
५. **व्यवसाय करः** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी र आर्थिक कारोवारका आधारमा अनुसूची (४) बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
६. **जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु करः** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडिबुटी, वनकस, कवाडी माल र प्रचलित कानूनले निषेध गरिएको जीवजन्तु वाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छाला जस्ता बस्तुको व्यवसायिक कारोवार गरेवापत अनुसूची (५) बमोजिमको कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
७. **सवारी साधन करः** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र दर्ता भएका सवारी साधनमा अनुसूची (६) बमोजिम सवारी साधन कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।तर, प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहि बमोजिम हुनेछ ।
८. **विज्ञापन करः** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापनमा अनुसूची (७) बमोजिम विज्ञापन कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।।तर, प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहि बमोजिम हुनेछ ।
९. **बहाल बिटौरी शुल्कः** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र आफुले निर्माण, रेखदेख वा संचालन गरेका अनुसूची (८) मा उल्लेख भए अनुसार हाट बजार वा पसलमा सोही अनुसूचीमा भएको व्यस्था अनुसार बहाल बिटौरी शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
१०. **पार्किङ शुल्कः** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै सवारी साधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए वापत अनुसूची (९) बमोजिम पार्किङ शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ।

११. **ट्रेकिङ्ग, कोयोकिड, क्यानोइङ्ग, बन्जी जम्पिङ्ग, जिपफ्लायर र र्‍याफ्टिङ शुल्कः** गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र ट्रेकिङ्ग, कायोकिड, क्यानोइङ्ग, बन्जी जम्पिङ्ग, जिपफ्लायर र र्‍याफ्टिङ सेवा वा व्यवसाय संचालन गरेवारत अनुसूची (१०) बमोजिमको शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

१२. **सेवा शुल्क, दस्तुरः** गाउँपालिकाले निर्माण, संचालन वा व्यवस्थापन गरेका अनूसूचि ११ मा उल्लिखित स्थानीय पूर्वाधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचीमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

१३. **पर्यटन शुल्कः** गाउँपालिकले आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने पर्यटकहरुवाट अनुसूची १२ मा उल्लिखित दरमा पर्यटन शुल्क लगाईने र असुल उपर गरिनेछ ।तर, प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहि बमोजिम हुनेछ ।

१४. **मनोरन्जन करः** प्रदेश कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।

१५. **ढुङ्गा,गिट्टी, स्लेट, बालुवा, चुनढुङ्गा, खरीढुङ्गा, अभ्राख ,दहत्तर र बहत्तरमा प्राकृतिक स्रोत करः** प्रदेश कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिमको ढुङ्गा,गिट्टी, स्लेट, बालुवा, चुनढुङ्गा, खरीढुङ्गा, अभ्राख ,दहत्तर र बहत्तरमा प्राकृतिक स्रोत कर असुलउपर गरिनेछ ।

१६. **कर छुटः**यस ऐन बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई कुनै पनि किसिमको कर छुट दिईने छैन ।

१७. **कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि कार्यविधिः** यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि कार्यविधि गाउँपालिकाले तोके अनुसार हुने छ ।

# अनुसूची १

(दफा २ सँग सम्बन्धित)

**सम्पत्ति/घरधुरी कर :**

गाउँपालिका क्षेत्र भित्रका प्रत्येक पक्की तथा कच्ची घरहरुमा तपशिल बमोजिम घरधुरी कर लाग्नेछ ।

| क्र.सं | घरको प्रकार | दस्तुर रु. | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १. | कच्ची घर | ५० | |
| २. | पक्की भवन गाम्रीण क्षेत्रमा भए प्रति वर्ग फिट | ०.५० | |
| ३. | पक्की भवन शहरी क्षेत्रमा भए प्रति वर्ग फिट | १ | |

# अनुसूची २

(दफा ३ सँग सम्बन्धित)

**मालपोत (जग्गा तिरो) करः**

| क्र.सं. | जग्गाको प्रकार | एकाइ | मालपोत दस्तुर (तिरो) | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १. | अब्बल | प्रति रोपनी | रु. १० | |
| २. | दोयम | प्रति रोपनी | रु. ९ | |
| ३. | सीम | प्रति रोपनी | रु. ८ | |
| ४. | चाहार | प्रति रोपनी | रु. ७ | |
| ५. | खर बारी | प्रति रोपनी | रु ५ | |

# अनुसूची ३

(दफा ४ सँग सम्बन्धित)

**<u>घर बहाल करः</u>**

क) गाउँपालिका क्षेत्र भित्रका घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, कारखाना, जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंशिक रुपमा बहालमा दिएकोमा वहाल रकमको १० प्रतिशत बहाल कर लाग्ने छ ।

# अनुसूची ४

(दफा ५ सँग सम्बन्धित)

**<u>व्यवसाय कर ः</u>**

| क्र.सं | व्यवसायको नाम | दर्ता | नवीकरण |
|---|---|---|---|
| १ | मदिरा (रक्सी जन्य) तथा सूर्तीजन्य व्यवसाय | | |
| | क) थोक बिक्रेता | ३००० | २००० |
| | ख) खुद्रा बिक्रेता | २००० | १००० |
| २. | इलेक्ट्रीक तथा इलेक्ट्रोनिक्स | | |
| | क) थोक बिक्रेता | २००० | १००० |
| | ख) खुद्रा बिक्रेता | १००० | ५०० |
| ३. | कपडा पसल | | |
| | क) सुती कपडा पसल (थोक बिक्रेता) | २००० | १००० |
| | ख) सुती कपडा पसल (खुद्रा बिक्रेता) | १००० | ५०० |
| | ग) फेन्सी कपडा (रेडिमेड) | १००० | ५०० |
| ४. | गहना (ज्वेलरी) पसल | | |
| | क) सबै खाले गहना निर्माण तथा विक्री गर्ने | २००० | १००० |
| | क) स-साना गहना निर्माण तथा विक्री गर्ने | १००० | ५०० |
| ५. | हार्डवेयर एण्ड सप्लायर्स | | |
| | क) थोक बिक्रेता | ३००० | १५०० |
| | ख) खुद्रा बिक्रेता | २००० | १००० |
| ६. | कम्प्युटर, टेलिभिजन, फोटोकपी ,विद्युत सामान, क्यामेरा, टेलिभिजन र रेडियो | | |
| | क) थोक बिक्रेता | २००० | १००० |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ख) खुद्रा बिक्रेता | १००० | ५०० |
| ७. | पेट्रोल/ डिजेल पम्प तथा ग्याँस | | |
| | क) पेट्रोल र डिजेल पम्प | ५००० | ३००० |
| | ख) ग्यास तथा मट्टितेल बिक्री गर्ने | २००० | १५०० |
| ८. | दैनिक उपभोगका खाद्य पदार्थ (खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफुल समेत) | | |
| | क) थोक बिक्रेता | १००० | ५०० |
| | ख) खुद्रा बिक्रेता | ५०० | ३०० |
| ९. | पर्यटन, व्यवसाय, आवास, होटेल, रेष्टुरा, रिसोर्ट | | |
| | अ) ५० लाख भन्दा माथि पुँजी भएका | १०००० | ७५०० |
| | आ) २५ देखि ५० लाख सम्म पुँजी भएका | ६००० | ४५०० |
| | इ) १० देखि २५ लाख सम्म पुँजी भएका | ३००० | २००० |
| | ई) ५ देखि १० सम्म लाख सम्म पुँजी भएका | २००० | १००० |
| | उ) १ देखि ५ लाख सम्म पुँजी भएका | १००० | ५०० |
| | उ) १ लाख सम्म पुँजी भएका | ५०० | ३०० |
| १०. | कार्पेट | | |
| | क) थोक बिक्रेता | १००० | ५०० |
| | ख) खुद्रा बिक्रेता | ५०० | ३०० |
| ११. | सेवा तथा उद्योग | | |
| | क) छापाखाना (ठुला) | २००० | १००० |
| | ख) छापाखाना (मझौला तथा साना दशलाख भन्दा कम पूँजी भएका) | १००० | ५०० |
| | ग) परामर्श सेवा | २५०० | १५०० |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | घ) चलचित्र व्यवसाय | १००० | ५०० |
| | ङ) सार्वजनिक परिवहन | १००० | ५०० |
| | च) फोटोग्राफी | १००० | ५०० |
| | छ) शीत भण्डार | १००० | ५०० |
| १२. | निर्माण तथा औद्योगिक सेवा | | |
| | क) सडक, पुल, रोपवे, रेलवे, टलिवस, टनेल, फ्लाइङ बृज तथा औद्योगिक, व्यापारिक एवं आवास कम्प्लेक्स आदि निर्माण गरी संचालन गर्ने उद्योग व्यवसायमा | ५००० | ३००० |
| | विशेष परामर्श तथा अन्य व्यवसायीक सेवा | | |
| | क) चिकित्सक | १००० | ५०० |
| | ख) कविराज | ५०० | ३०० |
| | ग) इन्जिनियर | १००० | ५०० |
| | घ) कानुन व्यवसायी | १००० | ५०० |
| | ङ) लेखा परिक्षक | १००० | ५०० |
| | च) दन्त चिकित्सक | १००० | ५०० |
| १३. | छ) अनुसन्धानकर्ता तथा परामर्श दाता | २५०० | १५०० |
| | ज) कम्प्युटर एनालिष्ट तथा प्रोगामर | १५०० | १००० |
| | झ) बीमा एजेन्ट | २००० | १५०० |
| | ञ) सर्भेयर | १००० | ५०० |
| | ट) अनुवादक | १००० | ५०० |
| | ठ) पशु चिकित्सक | १००० | ५०० |
| | ड) शेयर दलाल | २००० | १००० |
| | ढ) सामान ढुवानी कर्ता तथा कम्पनी | २००० | १००० |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ण) संस्थागत पेन्टर | १००० | ५०० |

| | | | |
|---|---|---|---|
| १४. | सवारी साधन बिक्री केन्द्र | | |
| | क) सवारी साधन विक्रेता | ५००० | ३००० |
| १५. | उत्पादन मूलक उद्योग | | |
| | क) कोरा माल वा अर्ध प्रशोधित माल वा खेर गईरहेको माल सामानको वा अन्य माल सामान प्रयोग वा प्रशोधन गरी माल सामान उत्पादन गर्ने उद्योग | २००० | १००० |
| १६. | कृषि तथा वन्यजन्य उद्योग | | |
| | क) वन पैदावारमा आधारित उद्योग (उत्पादन गर्ने) | ३००० | २००० |
| | ख) वन पैदावारमा आधारित ब्यवसायमा | २००० | १००० |
| | ग) कृषिमा आधारित उद्योग ब्यवसायमा | १००० | ५०० |
| १७. | गाउँपालिकामा प्रधान कार्यालय भएको निर्माण ब्यवसायमा | | |
| | क श्रेणीको | ५००० | |
| | ख श्रेणीको | ४००० | |
| | ग श्रेणीको | २००० | |
| | घ श्रेणीको | १००० | |
| १८. | खनिज उद्योग | | |
| | क) खनिज उत्खन वा प्रशोधन गर्ने उद्योग ब्यवसायमा | ५००० | ३००० |
| | उर्जा मूलक उद्योग | | |
| २०. | क) जलश्रोत, वायु, सौर्यशक्ति, कोइला, प्राकृतिक तेल, ग्याँस, बायोग्यास, अन्य श्रोतहरुबाट उर्जा पैदा गर्ने उद्योग ब्यवसायमा | ५००० | ३००० |

| | | | |
|---|---|---|---|
| २१. | स्वास्थ्य सेवा | | |
| | क) गैर सरकारी अस्पताल | ५००० | ३००० |
| | ख) नर्सिङ होम | ४००० | ३००० |
| | ग) क्लिनिक तथा ल्याब | ३००० | २००० |
| २२. | सञ्चार सेवा | | |
| | क) निजी क्षेत्रको हुलाक सेवा | ५०० | ३०० |
| | ख) निजी क्षेत्रका टेलिफोन, फ्याक्स, फोटोकपी, मोवाइल फोन, STD, ISTD इमेल, इन्टरनेट, रेडियो पेजिङ आदि | १००० | ५०० |
| | ग) कुरियर सेवा | १००० | ५०० |
| २३. | शिक्षा सेवा | | |
| | क) निजी क्षेत्रका स्कूल, क्याम्पस, विश्वविद्यालय | ५००० | ३००० |
| | ख) तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्र | ३००० | २००० |
| | ग) टाइपिङ, कम्प्युटर तथा भाषा प्रशिक्षण संस्था | ३००० | २००० |
| | घ) अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था | ५००० | ३००० |
| २४. | मर्मत सम्भार | | |
| | क) हेवी इक्यूमेन्टस् बस, ट्रक, आदि मर्मत कारखाना | ५००० | ३००० |
| | कार मर्मत कारखाना | ३००० | २००० |
| | मोटर साइकल, मर्मत कारखाना | २००० | १००० |
| | ख) रेडियो, टि.भि., घडी, प्रेशर कुकर, हिटर, टेलिफोन सेट , विद्युत सामाग्री मर्मत केन्द्र | १००० | ५०० |
| | वित्तिय सेवा | | |
| | क) नेपाल सरकारको पुर्ण स्वामित्व रहेको बाहेक आर्थिक कारोवार गर्ने वाणिज्य बैक | ५००० | ४००० |

| | | | |
|---|---|---|---|
| २५. | ख) आर्थिक कारोवार समेत गर्ने वित्तीय कम्पनीको मुख्य कार्यालय | २५०० | १५०० |
| | ग) वित्तीय कम्पनीको शाखा कार्यालय | १००० | ७०० |
| | घ) वीमा कम्पनी | ५००० | ३००० |
| | ङ) विदेशी मुद्रा सटही | १००० | ५०० |
| | च) धितोपत्र कारोवार | १००० | ५०० |
| | छ) सहकारी बैंक | १००० | ५०० |
| २६. | अन्य व्यवसाय | | |
| | क) पार्क पिकनिक स्पट | १००० | ५०० |
| | | | |
| २७. | अन्य सेवा | | |
| | क) विज्ञापन सेवा | ५०० | ३०० |
| | ख) बैदेशिक रोजगार सेवा | १००० | ५०० |
| | ग) स्वदेशी रोजगार सेवा | ५०० | ३०० |
| | घ) सेक्रेटरियल सेवा | १००० | ५०० |
| | ङ) हाउजिङ्ग कम्पनी तथा घरजग्गा खरिद बिक्री | ५००० | ३००० |
| | च) ब्यूटी पार्लर, केश सिंगार, ड्राई क्लिनर्स, फोटो स्टुडियो, सिलाई सेन्टर आदि | ५०० | ३०० |
| | छ) साइन बोर्ड बनाउने पेन्टिङ सेवा | ५०० | ३०० |
| | ज) पशु वधशाला | १००० | ५०० |
| | झ) मासु बिक्रेता | १००० | ५०० |
| | ञ) फुल र विरुवा बिक्रेता | ५०० | ३०० |
| | ट) पुल हाउस | १००० | ५०० |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ठ) खोटो व्यवसायी | २००० | १००० |
| | ड) सिसा प्लाइउड बिक्रेता | १५०० | १००० |
| | ढ) भाँडाकुँडा बिक्रेता | १५०० | १००० |
| | ण) स्टिल, काठ, फर्निचर बिक्रेता | १००० | ७०० |
| | त) खेलौना, उपहार (गिफ्ट) बिक्रेता | ५०० | ३०० |
| | थ) केबुल नेटवर्किङ (ग्राहक संख्याको आधारमा): | | |
| | १. तीनसय सम्म ग्राहक संख्या भएमा | ५००० | ३००० |
| | २. तीन सय भन्दा बढी ग्राहक भएमा | १०००० | ७००० |

क) माथी उल्लेख भएको व्यवसायहरुमा सोही अनुसार र नभएको हकमा राजश्व परामर्श समितिको सिफारिसमा गाउँपालिकाको बोर्ड बैठकबाट निर्णय गरी कर निर्धारण गरिने छ ।

ख) कुनै एक व्यवसायको इजाजत लिई अन्य व्यवसाय समेत थप गरी व्यवसाय सञ्चालन गरेको हकमा माथि उल्लेखित दरको प्रत्येक व्यवसायमा ५०% ले हुने रकम थप व्यवसाय कर लिने ।

ग) चालु आ.व. भित्र असुल नभई अर्को आ.व. भित्र असुल गर्दा ३०% प्रतिशत थप विलम्व शुल्क सहित असुल गरिनेछ । चालु आ.ब. अगावै कुनै लाग्ने शुल्क वा कर अग्रिम भुक्तानी गरेमा ५ प्रतिशत छुट दिने ।

# अनुसूची ५

(दफा ६ सँग सम्बन्धित)

**<u>जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर ः</u>**

क) जडिबुटी, नेपाली कागज, काठ, दाउरा, बाँस र अन्य बस्तुको निकासी करको दर ः

| क्र.स. | विवरण | इकाई | प्रति इकाई दर रु. | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | मजिठो | केजी | १.५० | |
| २ | ओखरफलको बोक्रा | केजी | १.५० | |
| ३ | ओखर काण्ड बोक्रा | केजी | १०.०० | |
| ४ | चिराइतो | केजी | २.५० | |
| ५ | चुत्रोको बोक्रा | केजी | १.२५ | |
| ६ | कुरिलाको जरा | केजी | १.५० | |
| ७ | सुगन्धवाल | केजी | ४.०० | |
| ८ | अल्लो | केजी | २.०० | |
| ९ | झ्याउ | केजी | ७.०० | |
| १० | अर्गेली | केजी | ३.२५ | |
| ११ | पाखनवेत | केजी | २.०० | |
| १२ | लोक्ता | केजी | ६.०० | |
| १३ | ठिग्रें सल्लाको सिम्टा | केजी | २१.०० | |
| १४ | धसिंगरेतेल | केजी | १००.०० | |
| १५ | अम्रिसो | केजी | १.०० | |
| १६ | जटामसी | केजी | ३.०० | |
| १७ | तेजपात | केजी | ०.२० | |
| १८ | गोब्रे सल्लाको सिम्टा | केजी | ०.३० | |

| क्र.स. | विवरण | इकाई | प्रति इकाई दर रु. | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १९ | खोल्मे | केजी | ०.३० | |
| २० | नागबेली पाउडर | केजी | १५.५० | |
| २१ | खोटो | केजी | २.०० | |
| २२ | गोब्रे सल्लाको पातको तेल | केजी | ३०.०० | |
| २३ | भिरमह | केजी | ५.०० | |
| २४ | सतुवा | केजी | १००.०० | |
| २५ | धुपीपात | केजी | ५.०० | |
| २६ | नागबेली | केजी | १.०० | |
| २७ | काउलोको बोक्रा | केजी | ३.०० | |
| २८ | सुगन्धित तेल | केजी | ५०.०० | |
| २९ | साधारण च्याउ | केजी | २.०० | |
| ३० | इन्द्रेयिनी | केजी | २.०० | |
| ३१ | नेपाली कागज | कोरी | ७.०० | |
| ३२ | सल्लो/उत्तिस र अन्य बरामदी काठ (गोलिया) | क्यु.फि | ३.०० | |
| ३३ | सल्लो/उत्तिस र अन्य बरामदी काठ (चिरान) | क्यु.फि | ३.५० | |
| ३४ | भेनियर पत्ता (ट्याक्टर) | ट्रिप | १०००.०० | |
| ३५ | भेनियर पत्ता (मिनी ट्रक) | ट्रिप | १२००.०० | |
| ३६ | भेनियर पत्ता (ट्रक) | ट्रिप | १५००.०० | |
| ३७ | भेनियर पत्ता (भ्यान ट्रक) | ट्रिप | १७००.०० | |
| ३८ | तयारी प्लाइउड (ट्याक्टर) | ट्रिप | ३००.०० | |

| क्र.स. | विवरण | इकाई | प्रति इकाई दर रु. | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| ३९ | तयारी प्लाइउड (मिनी ट्रक) | ट्रिप | ५००.०० | |
| ४० | तयारी प्लाइउड (ट्रक) | ट्रिप | ७००.०० | |
| ४१ | तयारी प्लाइउड (भ्यान ट्रक) | ट्रिप | १०००.०० | |
| ४२ | दाउरा (ट्याक्टर) | ट्रिप | १००.०० | |
| ४३ | दाउरा (मिनी ट्रक) | ट्रिप | १५०.०० | |
| ४४ | दाउरा (ट्रक) | ट्रिप | ५००.०० | |
| ४५ | दाउरा (भ्यान ट्रक) | ट्रिप | ७००.०० | |
| ४६ | काठको भुस (ट्याक्टर) | ट्रिप | ५०.०० | |
| ४७ | काठको भुस (मिनी ट्रक) | ट्रिप | १००.०० | |
| ४८ | काठको भुस (भ्यान ट्रक) | ट्रिप | ५०० | |
| ४९ | बाँस | गोटा | ०.२५ | |
| ५० | बन लसुन | केजी | १०० | |
| ५१ | हाडे लसुन | केजी | १०० | |
| ५२ | कुरीलो | केजी | २ | |
| ५३ | कोइला | केजी | ५.०० | |
| ५४ | बुकीफुल | केजी | २.०० | |
| ५५ | सराहा जरा | केजी | ५.०० | |
| ५६ | अविजालो | केजी | ५.०० | |
| ५७ | निगालो | गोटा | ०.१० | |
| ५८ | अलैची | केजी | १०.०० | |
| ५९ | यार्सागुम्बा | केजी | २०००.०० | |
| ६० | लोठ सल्लाको पात | केजी | ५.०० | |

| क्र.स. | विवरण | इकाई | प्रति इकाई दर रु. | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| ६१ | सुठो | केजी | १.०० | |
| ६२ | लप्सी | केजी | ०.५० | |
| ६३ | फुन | केजी | २ | |
| ६४ | छुर्पी | केजी | ३ | |
| ६५ | घिउ | केजी | ३ | |
| ६६ | कुडकी | केजी | ५० | |
| ६७ | सुनपाती | केजी | ४ | |
| ६८ | कवाडी सामान (५००० केजी सम्म) | केजी | १ | |
| ६९ | कवाडी सामान (५००० केजी भन्दा माथी) | केजी | २ | |
| ७० | कवाडी सामान - तामा पित्तल | केजी | १०० | |
| विगु गाउँपालिका भित्र उत्पादन भई निकासी हुने माथि उल्लेखित बाहेक अन्य बस्तुहरुको हकमा गाउँपालिको निर्णय बमोजिम हुनेछ । | | | | |

ख) प्रचलित कानुनले निषेध गरे बाहेकको मरेका वा मारिएका पञ्छीको प्वाँख र पशुको हाड, छाला, सिंङ र खुर निकासी करको दर ः

| क्र.स. | विवरण | इकाई | प्रति इकाइ दर रु. | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | प्वाँख | के.जी | १.५० | |
| २ | हाड | के.जी | १.५० | |
| ३ | सिङ | के.जी | १.५० | |
| ४ | खुर | के.जी | १.५० | |
| ५ | छाला ठुलो | गोटा | ३०.०० | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ६ | छाला सानो | गोटा | १५.०० | |

ग) कृषि, पशु तथा पशुजन्य वस्तुको निकासी करको दर :

| क्र.स. | विवरण | इकाई | प्रति इकाइ दर रु. | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | भैसी जात (भैसी,राँगा आदि) | गोटा | १०० | |
| २ | गाई जात -गाई,गोरु आदि) | गोटा | २० | |
| ३ | भेडा,बाख्रा,बंगुर जात(भेडा,बाख्रा,बंगुर आदि) | गोटा | २० | |
| ४ | कुखुरा/कुखुराको जात | गोटा | १ | |
| ५ | अण्डा (सात क्रेट बराबर एक बाकस) | बाकस | ५ | |
| ६ | गोलभेडा,काउली,आलु,(ठुलो ट्रक) | ट्रिप | ५०० | |
| ७ | गोलभेडा,काउली,आलु,(मिनी ट्रक/टयाक्टर) | ट्रिप | २०० | |
| ८ | बन्दा,साग(ठुलो ट्रक) | ट्रिप | २०० | |
| ९ | बन्दा,साग(मिनी ट्रक/टयाक्टर) | ट्रिप | १०० | |
| १० | लसुन,वेसार,अदुवा,(ठुलो ट्रक) | ट्रिप | ७०० | |
| ११ | लसुन,वेसार,अदुवा,(मिनी ट्रक/टयाक्टर) | ट्रिप | ३०० | |

घ. खानी जन्य पदार्थ निकासी करको दर :

| क्र.स. | विवरण | इकाई | प्रति इकाई दर रु. | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | खरिढुङ्गा | मेट्रिक टन | ६०.०० | |
| २ | म्याग्नेसाइट ढुङ्गा | मेट्रिक टन | ५०.०० | |
| ३ | भुइमा विछ्याउने चप्लेटी ढुङ्गा | वर्ग फिट | २.०० | |
| ४ | छाना छाउने स्लेट ढुङ्गा | वर्ग फिट | २.०० | |
| ५ | बालुवा,गिटी,रोडा, ढुङ्गा ,ग्राभेल तथा लोहोरे ढुङ्गा | घन मिटर | १४५.०० | |

# अनुसूची ६

(दफा ७ सँग सम्बन्धित)

**<u>सवारी साधन कर :</u>**

केन्द्र वा प्रदेशमा सवारी साधन दर्ता तथा अनुमति लिएका सबै प्रकारका सवारी साधनहरु विगु गाउँपालिका क्षेत्र भित्र नियमित रुपमा सञ्चालन गर्दा गाउँपालिकामा अनिवार्य अभिलेखिकरण गरी सञ्चालन को अनुमति लिनु पर्नेछ । जसको लागि प्रदेश सरकारले तोके बमोजिमको कर लाग्ने छ ।

# अनुसूची ७

(दफा ८ सँग सम्बन्धित)

**<u>विज्ञापन करः</u>**

क) निजी आवासमा आ.व. ०७६/०७६ सम्म प्रतिवर्ग फिट रु ५०/-

ख) मदिरा र सुर्तजन्य वस्तुको विज्ञापन प्रतिवर्ग फिट रु. १००/-

ग) अन्य वस्तुको विज्ञापनमा प्रति वर्ग फिट रु. ५०/-

घ) सार्वजनिक स्थानमा ब्यानर टाँगेमा प्रति वर्गफिट ७ दिन सम्म रु ७/- सो पछि प्रतिदिन थप प्रति वर्गफिट रु. ५/-

ङ) १ वर्ग फिट सम्मको विज्ञापन १ महिना सम्मको प्रतिदिन रु १/- र सो भन्दा वढि राख्नु परेमा प्रतिदिन रु. २/-

च) आफ्नो ब्यवसाय परिचयको लागि १५ स्क्वायर फिट सम्म १ थान वोर्ड ब्यवसायीले आफ्नो पसल वा ब्यवसाय रहेको भित्ता पर्खाल वा अगाडिको भागमा राख्न पाउने छन् र १ भन्दा धेरै वोर्ड राख्नु परेमा माथिको दररेटमा सम्वन्धित ब्यवसायीले विज्ञापन कर वापत बुझाउनु पर्ने छ ।

# अनुसूची ८

(दफा ८ सँग सम्बन्धित)

**<u>बहाल बिटौरी शुल्क :</u>**

गाउँपालिका क्षेत्रभित्र गाउँपालिकाले निर्माण, रेखदेख वा सञ्चालन गरेको हाट बजार र सार्वजनिक स्थल, ऐलानी जग्गा वा बाटो छेउमा अस्थायी पसल वा व्यवसाय गर्न दिए वापत प्रति वर्गफिट मासिक रु. ५०/- बहाल बिटौरी कर असुल गरिने छ ।

# अनुसूची ८

(दफा १० सँग सम्बन्धित)

**पार्किङ शुल्क ः**

क) मोटरसाईकलको लागि पहिलो २ घण्टाको लागि रु ५/- र सो भन्दा वढि भए थप प्रति घण्टाको दरले रु १० /-

ख) हलुका सवारी साधनको लागि पहिलो २ घण्टाको लागि रु. १०/- र सो भन्दा वढिको थप प्रति घण्टाको दरले रु. २०/-

ग) ट्र्याक्टरको लागि पहिलो २ घण्टाको लागि रु. १५/- र सो भन्दा वढिको थप प्रति घण्टाको दरले लागि रु. २५/-

घ) हेभि सवारी साधनको लागि पहिलो २ घण्टाको लागि रु २५/- र सो भन्दा वढिका थप प्रति घण्टाको दरले लागि रु. ४०/-

# अनुसूची १०

(दफा ११ सँग सम्बन्धित)

**ट्रेकिङ, कायोकिङ, क्यानोइङ, बन्जी जम्प, जिपफ्लायर र र्‍याफ्टिङ शुल्क ः**

गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र ट्राभल एजेन्सी, फनपार्क, ग्लाइडिङ, वाटर र्‍याफ्टीङ, ट्रेकिङ, बन्जी जम्पिङ्ग, पदयात्रा, घोडचढी आदि जस्ता ब्यवसाय सञ्चालनमा तपशिल बमोजिम शुल्क लाग्नेछ ।

| ट्राभल्स, टुर्स एण्ड मनोरञ्जन | शुल्क रु. |
|---|---|
| क) ट्राभल एजेन्सी, ग्लाइडिङ, वाटर र्‍याफ्टीङ, ट्रेकिङ, , आदि जस्ता ब्यवसायमा | १०००० |
| ख) फनपार्क, पदयात्रा, घोडचढी आदि | ५००० |

# अनुसूची ११

(दफा १० सँग सम्बन्धित)

**<u>सेवा, शुल्क र दस्तुर :</u>**

**क. अचल सम्पत्ति मूल्याङ्कन सेवा शुल्क :**

सम्पति मूल्याङ्कन तथा श्रोत प्रमाणित प्रतिहजार रु. ०.५०/-

**ख. विभिन्न प्रकारका सेवा शुल्क दस्तुर तथा सिफारिस निवेदन दर्ता :**

| सि नं | विवरण | दररेट | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १. | घर जग्गा नामसारी सिफारिस | २०० | |
| २. | मोही लगत कट्टा सिफारिस | २०० | |
| ३. | घर कायम सिफारिस | २०० | |
| ४. | छात्र बृत्ति सिफारिस | १५० | |
| ५. | विपन्न विद्यार्थी छात्र बृत्ति सिफरिस | नि:शुल्क | |
| ६. | अपांग सिफरिस | नि:शुल्क | |
| ७. | अस्थायी बसोवास सिफारिस | १०० | |
| ८. | स्थायी वसोवास सिफारिस | २०० | |
| ९. | नागरिकता सिफारिस | २०० | |
| १०. | प्रतिलिपि सिफारिस | ३०० | |
| ११. | अंगिकृत नागरिकता सिफारिस | ५०० | |
| १२. | आर्थिक अवस्था कमजोर वा विपन्नता प्रमाणित | नि:शुल्क | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| १३. | आर्थिक अवस्था वलियो वा सम्पन्नता प्रमाणित | १००० | |
| १४. | विद्युत जडान सिफारिस | २०० | |
| १५. | धारा जडान सिफारिस | २०० | |
| १६. | जिवित रहेको सिफारिस | १०० | |
| १७. | दुवै नाम गरेको व्यक्ति एउटै हो भन्ने सिफारिस/ फरक जन्ममिति संशोधन सिफारिस | १०० | |
| १८. | जग्गा मूल्याङ्कन सिफारिस र प्रमाणित | ५०० | |
| १९. | व्यवसाय वन्द सिफारिस | १०० | |
| २०. | व्यवसाय सञ्चालन नभएको सिफारिस | १०० | |
| २१. | व्यापार व्यवसाय नभएको सिफारिस | १०० | |
| २२. | कोट फी मिनाहा सिफारिस | नि:शुल्क | |
| २३. | नावालक परिचयपत्र सिफारिस | १०० | |
| २४. | चौपाय सम्बन्धी सिफारिस | १०० | |
| २५. | व्यवसायदर्ता सिफारिस | ३०० | |
| २६. | उद्योग ठाउँसरी सिफारिस | ३००० | |
| २७. | विद्यालय ठाउँसरी सिफारिस | १००० | |
| २८. | आन्तिरिक बसाइँसराई सिफारिस | १०० | |
| २९. | व्यक्तिगत विवरण सिफारिस | १०० | |
| ३०. | जग्गादर्ता सिफारिस | ३०० | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ३१. | संरक्षक सिफारिस (व्यक्तिगत) | १०० | |
| ३२. | संरक्षक सिफारिस (संस्थागत) | २०० | |
| ३३. | नेपाल सरकारको नाममाबाटो कायम सिफारिस | नि:शुल्क | |
| ३४. | जिवित संगको नाताप्रमाणित | २०० | |
| ३५. | मृतक संगको नाता प्रमाणित | २०० | |
| ३६. | कोठाखोल्ने कार्य/ रोहवरमा वस्ने कार्य | १५० | |
| ३७. | निशुल्क वा सशुल्क स्वास्थ्य उपचार सिफारिस | नि:शुल्क | |
| ३८. | अन्य कार्यालयको मागअनुसार विवरण खुलाइपठाउने कार्य | नि:शुल्क | |
| ३९. | संस्थादर्ता सिफारिस | २०० | |
| ४०. | घरबाटो प्रमाणित | २०० | |
| ४१. | चार किल्ला प्रमाणित | २०० | |
| ४२. | जन्म मिति प्रमाणित | १०० | |
| ४३. | विवाह प्रमाणित | २०० | |
| ४४. | कागज मन्जुरीनामा प्रमाणित | १०० | |
| ४५. | हकवाला वा हकदार प्रमाणित | १०० | |
| ४६. | अविवाहित प्रमाणित | १०० | |
| ४७. | जग्गा रेखाङ्कनको कार्य वा सो कार्यमा रोहवर | २०० | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ४८. | जग्गा धनीपूर्जा हराएको सिफारिस | १०० | |
| ४९. | पूर्जामा घर कायम गर्ने सिफारिस | २०० | |
| ५०. | अंग्रेजी सिफारिस तथा प्रमाणित | प्रति पेज २५० | |
| ५१. | मिलापत्र कागज /उजुरी दर्ता | १०० | |
| ५२. | जन्मदर्ता | ५० (३५ दिन पछि भए) | |
| ५३. | मृत्यु दर्ता | ५० (३५ दिन पछि भए) | |
| ५४. | वसाई सराई आउने/जाने दर्ता | ३०० | |
| ५५. | पक्का घरको सर्जमिन वापत | ३०० | |
| ५६. | अन्य सवै प्रयोजनको सर्जमिन वापत | ३०० | |
| ५७. | अचल सम्पत्ति मूल्याकंन | ०.१० प्रतिशत | |
| ५८. | रकम कलम उढाई दिए वापत | ५ प्रतिशत | |
| ५९. | सम्वन्धविच्छेद दर्ता | ५०० | |
| ६०. | विवाह दर्ता | १०० (३५ दिन पछि) | |
| ६१. | नयाँ व्यवसाय दर्ता | ५०० | |
| ६२. | व्यवसाय नविकरण दर्ता | ३०० | |
| ६३. | उल्लेखित बाहेक अन्य | सिफारिस १०० प्रमाणित २०० संशोधित २०० | |

**ग) साना घरेलु उद्योग रु. ५००/- (अनुसूची फाराम निवेदन दर्ता समेत)**

**घ) मझौला उद्योग रु. १०००/- (अनुसूची फाराम निवेदन दर्ता समेत)**

**ङ) ठुला उद्योग (चिरान मिल, फर्निचर उद्योग) रु.१५००(अनुसूची फाराम निवेदन दर्ता समेत)**

च) अन्य सेवा उद्योग तथा ब्यवसाय सम्बन्धी सिफारिस रु. ५००० ⁄- (अनुसूची फाराम निवेदन दर्ता समेत)

छ) डिलर लिने सिफारिस रु. ३००० ⁄- (अनुसूची फाराम निवेदन दर्ता समेत)

ज) माथी नखुलेका उद्योग ब्यवसायका सिफारिसको हकमा गाउँपालिकाको निर्णयानुसार

१) एकिकृत सम्पत्ति कर रसिदको प्रतिलिपी रु. ५० ⁄-

२) अन्य कागजातको प्रतिलिपी दस्तुर रु. ५० ⁄- प्रति पाना

३) घर जग्गा छुट्याउन अमिन फिल्ड जानु पर्दा रु. १,००० ⁄-

४) सञ्चार टावर स्वीकृति सिफारिस रु. १०,००० ⁄-

५) अस्थाई प्रकृतिको निर्माण स्वीकृति निवेदन फारामसहित (ग्रामिण क्षेत्रका लागि) रु.१०० ⁄- प्रतिगोटा

६) निजी स्तरका विद्यालय स्थापना तथा तहवृद्धि सम्बन्धी सिफारिस। अनुमति दिदा गर्दा माध्यमिक विद्यालयको लागी रु. ५,००० ⁄- र आधारभूत तहको लागी रु. १,०००।-

७) गाउँपालिकाको स्वामित्व रहेका पिच सडक काटने स्वीकृत रु. ५,००० ⁄-

झ) माथि उल्लेखित बाहेक विगु गाउँपालिकाको दर्ता, नविकरण तथा सिफारिस दस्तुरको दर :

| क्र.स. | विवरण | इकाई | प्रति इकाई दर रु. | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | गैर सरकारी संघ संस्था दर्ता ⁄ नवीकरण सिफारिस दस्तुर | सिफारिस | १००० | |
| २ | रु.१ लाख भन्दा कम आर्थिक कारोबार गर्ने को लागि नविकरण दस्तुर | सिफारिस | ५०० | |
| ३ | रु. १ लाख देखी रु.५ लाख भन्दा कम आर्थिक कारोबार गर्नेको लागि नविकरण दस्तुर | सिफारिस | ७०० | |
| ४ | रु.५ लाख देखी रु. १० लाख भन्दा कम आर्थिक कारोबार गर्नेको लागि नविकरण दस्तुर | सिफारिस | १००० | |

| क्र.स. | विवरण | इकाई | प्रति इकाई दर रु. | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| ५ | रु.१० लाख देखी रु. १५ लाख भन्दा कम आर्थिक कारोबार गर्नेको लागि नविकरण दस्तुर | सिफारिस | १५०० | |
| ६ | रु.१५लाख भन्दा माथी आर्थिक कारोबार नविकरण दस्तुर | सिफारिस | २५०० | |
| ७ | **प्रकोप व्यवस्थापन विशेष कोष दस्तुर : गैरसरकारी संस्थाहरुको कारोबार(प्राप्ती) अङ्को ०.१ प्रतिशत** | | | |
| ८ | खानेपानी मुहान दर्ता दस्तुर | सिफारिस | १००० | |
| ९ | सिंचाई मुहान दर्ता दस्तुर | सिफारिस | १००० | |
| १० | खानेपानी र सिंचाई उपभोक्ता समिति नविकरण | सिफारिस | ५०० | |
| ११ | व्यक्तिगत घटना दर्ता(पंजीकरण) त्रुटी/गल्ती सच्याउने/सच्याउन सिफारिस गर्ने दस्तुर | सिफारिस | २०० | |
| १२ | विभिन्न संघ संस्था वा समितिहरुलाई योजना/आयोजना/कार्यक्रम आदिको मागको लागि सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुमा सिफारिस वापत प्रति सिफारिस दस्तुर | सिफारिस | २०० | |
| १३ | विभिन्न संघ संस्था वा समितिहरुलाई योजना/आयोजना/कार्यक्रम आदिको मागको लागि विभिन्न विदेशी निकायहरु तथा दात्रृ निकायहरुमा सिफारिस दस्तुर | सिफारिस | १००० | |
| १४ | कुनै विज्ञ/पेशागत कार्य/अध्ययन अनुसन्धान कार्य गर्न अनुमति वा सिफारिस दस्तुर | सिफारिस | १००० | |

| क्र.स. | विवरण | इकाई | प्रति इकाई दर रु. | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १५ | लघु जलविद्युत आयोजना(१ मेघावट भन्दा कम ) को सर्वेक्षण अनुमती/सिफारिस दस्तुर | सिफारिस | १००० | |
| १६ | लघु जलविद्युत आयोजना(१ मेघावट भन्दा कम ) को निर्माण अनुमती/सिफारिस दस्तुर | सिफारिस | १०००० | |
| १७ | जलबिद्युत आयोजना १० मेघावट भन्दा माथि सर्वेक्षण अनुमती सिफारिस दस्तुर | सिफारिस | ५०० | |
| १८ | क श्रेणीको निर्माण व्यवसायीको इजाजत पत्र नामसारी दस्तुर | सिफारिस | ५००० | |
| १९ | ख श्रेणीको निर्माण व्यवसायीको इजाजत पत्र नामसारी दस्तुर | सिफारिस | ४००० | |
| २० | ग वर्गको ठेक्का नामसारी गर्नको लागि नामसारी दस्तुर | सिफारिस | ३५०० | |
| २१ | घ वर्गको ठेक्का दर्ता गर्नको लागि दस्तुर | | ६००० | |
| २२ | घ वर्गको ठेक्का नवीकरण गर्नको लागि दस्तुर | | ४००० | |
| २३ | घ वर्गको ठेक्का नवीकरण समयावधिभित्र नगर्नेलाई जरिवाना थप | | ३००० | |

ञ) फोहरमैला व्यवस्थापन सेवा शुल्क (मासिक) निम्नानुसार लगाईने छ :

क) आवासीय घर ३ तल्ला सम्म रु. ५०/-

ख) ४ तल्ला वा सो भन्दा माथि रु. १००/-

ग) पसल सटर भए प्रति पसल थप रु. १००/-

घ) सामान्य प्रकृतिका होटल, रेष्टुरेन्ट थप रु. १५० /-

ङ) ठुला प्रकृतिका होटल लज रु.  ५००/-

च) हस्पिटल रु.  १,५००/-

छ) अन्य संघ संस्था रु. ५००/-

ज) अन्यको हकमा तथा सेवा शुल्क निर्धारणमा कठिनाई उत्पन्न भएमा व्यवसायको प्रकृति हेरी गाउँपालिकाको निर्णय वमोजिम  हुनेछ ।

ट. वादविवाद (मुद्धा) सम्बन्धी निवेदन दर्ता  रु. १००/-

ठ. नक्शापास गर्ने आवेदन पुस्तिका रु. १,०००/- प्रतिगोटा (विपत व्यबस्थापन शुल्क रु. ५०/- (बजार  क्षेत्र)   रु. २०/- (ग्रामीण क्षेत्र) थप गर्ने ।

ड. घर नक्शा पास तथा निर्माण स्वीकृति दस्तुरः

क) <u>बजार  क्षेत्रमा</u>

१) घर निर्माण अनुमति लिन आवश्यक कागजात सहित रु. ५००/- शुल्क बुझाउनु पर्नेछ ।

२) नक्शा पास गर्दा आर.सी.सी. ढलान घर प्रतिवर्गफिट रु. ३/- पीच नभएको क्षेत्रमा रु. २/- प्रतिवर्गफिटका दरले । नक्शापास नगरी बनाएकोमा तोकिएको शुल्कमा १०० प्रतिशत थप दस्तुर लाग्ने छ ।

३) आर.सी.सी. बाहेक पक्की घर प्रतिवर्ग फिट रु पीच भएको क्षेत्रमा रु. २/- पीच नभएको क्षेत्रमा रु. रु. १/- । नक्शापास नगरी बनाएकोमा तोकिएको शुल्कमा १०० प्रतिशत थप दस्तुर लाग्ने छ ।

ख) <u>ग्रामिण क्षेत्रमा (तीन तल्ला सम्मका लागि मात्र)</u>

१) आर.सी.सी ढलान घर प्रतिवर्ग फिट सडक बाटो भएको क्षेत्रमा रु. १ सडक बाटो नभएको क्षेत्रमा ०.५०/- । नक्शापास नगरी बनाएकोमा तोकिएको शुल्कमा ५०% थप दस्तुर लाग्ने छ ।

२) आर.सी.सी. बाहेकका पक्की घर प्रतिवर्ग फिट सडक बाटो भएको क्षेत्रमा रु ०.५०/- सडक बाटो नभएको क्षेत्रमा रु ०.२५/- । नक्शापास नगरी बनाएकोमा तोकिएको शुल्कमा १०० प्रतिशत थप दस्तुर लाग्ने छ ।

ग) गाउँपालिका गठन हुनु अगाडि निर्माण भएका घरहरुका घरधनीले घर दर्ता गरी निर्माण सम्पन्न गरेको प्रमाण कागजात खोजेमा हाल कायम रहेको नक्सापास दस्तुरको दोब्बर दस्तुर लिई प्रमाण कागजात उपलब्ध गराईने छ । गाउँपालिका गठन हुनु अगाडि गाविसको कार्यालयबाट नक्शा पास भएका घरहरु गाउँपालिकाले पास गरे सरह हुनेछ ।

घ) नक्शा पास/निर्माण सम्पन्न भएका घरहरुको नामसारी गर्नु पर्दा हाल कायम रहेको नक्सापास दस्तुरको १० प्रतिशत वा न्यूनतम मुल्य रु. १,०००/- मध्ये जुन बढी हुन आउँछ सोहि अनुसारको दस्तुर लिई नामसारी गरिने छ ।

ङ) नक्शापास प्रमाण-पत्र र घर निर्माण सम्पन्न प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपी दस्तुर रु. ५००/- लिई प्रतिलिपी सरोकारवालालाई दिईने छ । Planth level भन्दा माथि Super structure को नक्शा पास गरी निर्माण सम्पन्न प्रमाण-पत्र तोकिएको समयमा नलिएमा बिलम्ब दस्तुर रु ३,०००/- वा लाग्ने राजश्वको २५ प्रतिशत मध्ये जुन वढि हुन्छ सो वरावरको थप दस्तुर लिई निर्माण सम्पन्न पत्र प्रदान गरिने छ ।

छ) घर निर्माणको लागि नक्सा पास गरे पनि २ वर्ष सम्म विविध कारणले घर निर्माण नगरेमा नक्सा पास शुल्क फिर्ता हुने छैन र सो अवधि पछि पुनः अनुमति तथा नक्सा पास लिनु पर्नेछ ।

ढ. अन्य सेवा शुल्कको दर ः

| क्र.सं. | विवरण | इकाई | दर रु. | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | सभाहल भाडा | दिन | १५०० | |
| २ | पानी (कारखानाबाट उत्पादित) | लिटर | ०.१० | |

## अनुसूची १२

(दफा १३ सँग सम्बन्धित)

**<u>पर्यटन शुल्क ः</u>**

**गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र तोकिएको पर्यटकीय स्थलहरुमा त्यसको संरक्षण तथा संवर्द्धन र व्यवस्थापनको लागि तपशिल बमोजिमको शुल्क लाग्नेछ ।**

| क्र.स. | पर्यटक | शुल्क रु. |
|---|---|---|
| १ | आन्तरिक (गाउँपालिका भित्रको व्यक्ति) | २०।- |
| २ | आन्तरिक (गाउँपालिका बाहेक दोलखा, रामेछाप, र सिन्धुपाल्चोकको व्यक्ति) | ३०।- |
| ३ | आन्तरिक (अन्य नेपाली) | ५०।- |
| ४ | बाहय(अन्य मुलुकका नागरिक) | १००।- |

विद्यार्थी, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, धार्मिक पर्यटक हो भन्ने परीचय खुलेमा पचास प्रतिशत रकम छुट हुनेछ । साथै यस्ता स्थानमा फोहोरमैला गरेमा तथा अवैद्य कार्य गरेमा रु. ५००।- सम्म दण्ड जरिवाना गर्न सकिनेछ ।